

आदि के नामों का उल्लेख किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सम्पूर्ण भारत में धार्मिक मतों के सैकड़ों की संख्या में स्थानीय स्वरूप देखने को मिलते हैं।

5. सांस्कृतिक व भाषायी विविधतायें (Cultural and Language Diversities)

भारतीय संस्कृति विश्व के मानव-इतिहास की एक अमूल्य निधि है। मानव-इतिहास में करोड़ों मानवों के असंख्य कृतियाँ मूर्त रूप में स्थापित हैं और सैकड़ों अध्यायों में उन कृतियों की कथाएँ बिखरी पड़ी हैं। उन बिखरी हुए मोतियों को समेटकर एक परिपूर्ण माला को पिरोकर इस देश के दुलारों ने भारत माँ के गले में पहनाकर उसे गौरवान्वित किया है। उस गौरव का हिस्सेदार बनने का अधिकार सबको है क्योंकि सबको लेकर ही भारत का है—विश्व का कोई भी भाग, कोई भी जाति या सम्प्रदाय इसके स्नेहमय आङ्गन से कभी वंचित नहीं रहा। गौरवमयी भारत की यही गौरवमयी परम्परा है। भारत की गौरवमयी संस्कृति की सबसे अनुपम और महत्वपूर्ण विशेषता वास्तव में संस्कृति किसी देश या समाज की परम्परा होती है। इससे उस जटिल समग्रता का बोध होता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, भाषा, संगीत तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है। भारतीय संस्कृति की यह एक निरापद विशेषता है कि भारत में विभिन्न समूह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि निवास करते हैं जिनकी अपनी भाषा, अपना रहन-सहन, अपने रीति-रिवाज, अपने आचार-विचार-व्यवहार, अपने-अपने धर्म तथा अपने आदर्श हैं। इस अर्थ में भारत विभिन्न संस्कृतियों का एक लघु महाद्वीप है। **डॉ. राधा कुमुद मुकर्जी** के अनुसार, “भारत विभिन्न प्रकार के सम्प्रदायों, रीति-रिवाजों, धर्मों, संस्कृति, विश्वासों, भाषाओं, जातियों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का एक संग्रहालय है।” भारत में कितने प्रकार भाषा भी संस्कृति का एक प्रमुख तत्व है। पूरे भारत में एक नहीं, लगभग 1652 मातृभाषाओं का प्रचलन है जिन्हें 826 भाषाओं के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इन भाषाओं में भी 103 अभारतीय भाषाएँ भी सम्मिलित हैं। हिन्दी भाषा को बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है—33, 72, 72, 114। इसके बाद क्रमशः तेलुगु व बंगला भाषाओं का स्थान आता है। इसके बाद भाषा को बोलने वालों की संख्या के आधार पर हम देश की भाषाओं को इस क्रम से प्रस्तुत कर सकते हैं—मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, बिहारी, उड़िया, बंगला, राजस्थानी, पंजाबी, आसामी, संथाली, भीली, काश्मीरी, गोंडी तथा सिन्धी। संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है। 49,736 इन भाषाओं को चार अलग-अलग भाषा परिवारों—आर्यन, द्राविड़यन, आस्ट्रिक और चीनी-तिब्बती से सम्बद्ध किया जा सकता है। वास्तव में भाषा बोलने वालों की संख्या को उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति एकाधिक भाषाएँ भी बोल सकता है। इसी प्रकार भारत में 1600 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। लगभग सभी जनजातियों की ‘बोलियाँ’ अलग-अलग हैं। साथ ही सभी जनजातियों के आचार-विचार, रीति-रिवाज, पारिवारिक परम्पराएँ, विवाह के तरीके, धर्म आदि भी विविधता लिये हुये हैं, जिससे भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधताओं की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है।

भारतीय समाज के विभिन्न प्रदेशों में भाषा के अतिरिक्त रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा, प्रथा, परम्परा, विविधताएँ देखने को मिलती हैं। इस देश में हिन्दुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और मुस्लिमों में एक सामाजिक शिष्ट समझौता मात्र ही। यहाँ यदि मुसलमान भाई सिर ढंककर खाली पैर नमाज़ पढ़ते हैं, तो ईसाई भाई सिर खोलकर जूते पहने ही प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते हैं। इस देश में वेद, उपनिषद, गीता, दरबारी, कान्हड़ा, मियाँ मल्हार, धूपद, भजन, ख्याल, टप्पा, तुमरी, पॉप संगीत आदि विविध प्रकार की स्वर-लहरी लहराती है; यहाँ भरतनाट्यम्, कथकली, कुचिपुड़ी, कत्थक, मणिपुरी, आधुनिक, आदि विभिन्न प्रकार के नृत्य नाचे जाते हैं और इसी भारत-भूमि में तुर्की, ईरानी, भारतीय व पाश्चात्य चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला के विविध रूप और स्वरूप देखने को मिलते हैं। भारत में वैसे तो चार मुख्य जातियाँ हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। लेकिन वास्तव में भारतीय समाज सैकड़ों उपजातियों (Sub-castes) में बँटा हुआ है। यही भारतीय संस्कृति की प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है; यही भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधताओं की सच्ची कहानी है।

6. क्षेत्रीय विविधतायें (Regional Diversities)

भारत की अनेकानेक विविधताओं में क्षेत्रीय विविधता भी प्रमुख है। इस क्षेत्रीय विविधता का कारण भी प्रमुख रूप से भौगोलिक है। भारत चार स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से विभाजित है—

का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा-सिन्धु का विशाल मैदान, दक्षिणी पठार तथा मध्य भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों की भौगोलिक दशाएँ अलग-अलग ही नहीं, कुछ विषयों में एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत भी हैं। फलतः विभिन्न धार्मिक, रीति-रिवाज, भाषा, सांस्कृतिक परम्पराएँ, पोशाक, आभूषण, प्रकृति, खान-पान, रहन-सहन आदि दूसरे क्षेत्रों से भिन्न रहे। इसको और भी स्पष्ट रूप में इस प्रकार समझाया जा सकता है कि भौगोलिक, प्रजातीय और सांस्कृतिक (कुल मिलाकर क्षेत्रीय) दृष्टि से भारत का उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र एक-दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। उत्तरी भारत संसार का सबसे घना बसा क्षेत्र है और व्यापार-वाणिज्य के दृष्टिकोण से भी समान महत्व संस्कृति का उद्गम-स्थल है, जहाँ आर्य लोगों के सदस्य निवास करते हैं और जहाँ इण्डो-आर्यन भाषा बोली जाती है। दूसरे छोर पर भारत का दक्षिणी भाग है जो कि बनावट की दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यह भाग भारत की मूल सभ्यता का आगार है। इस दक्षिणी भारत में द्राविड़ों की सभ्यता, संस्कृत और भाषाएँ सर्वोपरि रही हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनेक मौलिक तत्व आज भी इस प्रदेश में विद्यमान रहे हैं। इसीलिए इस प्रदेश के निवासियों के रीति-रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार, वेश-भूषा, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाएँ उत्तरी भारत के रीति-रिवाज आदि से भिन्न रहे हैं।

वास्तव में देश के स्वतन्त्र होने से पूर्व तक कुछ शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजाओं के व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते भारत अधिकतर विस्तृत प्रादेशिक राज्यों का देश रहा और ये क्षेत्रीय विविधताएँ, फलती-फूलती रहीं, साथ ही अंग्रेजी शासन द्वारा 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत पुष्टि व पल्लवित होती रहीं। भारत के आजाद होने के बाद इन क्षेत्रीय विविधताओं ने क्षेत्रीयता के विकास में अपना योगदान दिया। उत्तर और दक्षिण के बीच भावनात्मक पृथक्ता बढ़ने लगी। यह भावना प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों में थी—एक तो भाषा के क्षेत्र में, दूसरी राजनीति के क्षेत्र में। दक्षिण भारत अहिन्दी भाषी प्रदेश है क्योंकि वहाँ द्राविड़ियन भाषा जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि का प्रचलन है। अतः राष्ट्रभाषा के रूप में 'हिन्दी' का दक्षिणभाषी डटकर विरोध करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी संस्कृति व भावनाओं का अनादर करते हुए उन पर हिन्दी भाषा को जबरदस्ती उन पर लादा जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर भारत का विरोध दक्षिण भारत के लोगों ने 'उत्तर की तानाशाही' (Dictatorship of North) का नारा लगाकर किया। उनका कहना है कि वस्तुतः उत्तरी भारत केवल दक्षिण पर ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण भारत पर राज्य कर रहा है। भारत के अधिकतर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उत्तरी भारत के ही रहे हैं। राजनीतिक तौर पर दक्षिण की अवहेलना का इससे बढ़कर और प्रमाण क्या हो सकता है? इस प्रकार के ग्रान्त तर्कों को प्रस्तुत करके राजनीतिक तौर पर पृथक् व स्वतन्त्र राज्य-सत्ता की माँग तक की जाती रही है। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय विविधता के आधार पर तमिलनाडु के डी.एम. के. दल ने एक विस्तृत सिद्धान्त यह विकसित किया कि उत्तरी भारत के आर्य लोग साम्राज्यवादी हैं, संस्कृत व हिन्दी उनके प्रभुत्व स्थापित करने के हथियार हैं एवं दक्षिण भारत के ब्राह्मण उत्तरी भारत के उन्हीं आर्यों द्वारा किये गये शोषण के प्रतिनिधि हैं। इसी आधार पर डी.एम. के. ने एक उत्तर-भारत विरोधी, हिन्दी विरोधी, ब्राह्मण विरोधी एवं धर्म-विरोधी आन्दोलन छेड़ा जिसका कि उद्देश्य द्राविड़िस्तान (Dravidistan) नामक एक स्वतन्त्र प्रभुतासम्पन्न राज्य की स्थापना करना था।¹ वास्तव में इस क्षेत्रीय विविधता के कारण समय-समय पर अलग-अलग राज्यों की माँगें उठती रहीं और कभी-कभी इसमें नेताओं को सफलता भी मिली। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, झारखण्ड आदि इसी का प्रतिफल है। इसी प्रकार असम राज्य के पहाड़ी मिजो, बोडो, उल्फा के आन्दोलनों से हम सभी परिचित हैं। महाराष्ट्र में एक पृथक् राज्य और तेलंगाना की माँग बहुत तीव्रता से उठ रही है। उत्तर प्रदेश के विभाजन की माँग भी जोर पकड़ रही है। यही है वास्तव में भारत में क्षेत्रीय विविधता की सामाजिक और राजनीतिक कहानी।

निष्कर्ष (Conclusion)—भारतीय समाज में पाई जाने वाली उपर्युक्त प्रजातीय भौगोलिक, भाषीय धार्मिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं के विशद वर्णन से यह प्रायः स्पष्ट है कि भारत विविधता वाले विभिन्न समूहों और संस्कृतियों का एक अजायबघर है। परन्तु इस वर्णन से यह न समझ लेना चाहिए कि इन विभिन्नताओं के कारण भारतीय समाज पूर्णतया एक छिन्न-भिन्न समाज है। वास्तविकता यह भी ध्यान में रखनी होगी कि बाहर से आई आर्य, द्राविड़, शक, सिथियन, हूण, तुर्क, पठान, मंगोल आदि प्रजातियाँ हिन्दू-समाज में अब इतनी

¹ Report of the Committee on Emotional Integration 1962, p. 23.

घुल-मिल गई हैं कि उनका पृथक् अस्तित्व आज मिट गया है। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक ईसाई व मुसलमान बन गए थे। धर्म-परिवर्तन कर लेने पर भी हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ है। यही कारण है कि हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के अनेक रीति-रिवाज, उत्सव, मेले, भाषा, पहनावा आदि में समानता है। विरोधी धार्मिक सम्प्रदायों के पवित्र साधुओं, पुण्यात्माओं और पैगम्बरों के परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क और मित्रता के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत के निवासियों की एकता और भी बढ़ गई है क्योंकि वे सभी आज धर्म-निरपेक्ष भारत-संघ के नागरिक हैं और उन्हें सभी क्षेत्रों के समान अधिकार प्राप्त हैं। इससे पारस्परिक धार्मिक, जातीय व साम्प्रदायिक भेद-भाव शीघ्रता से दूर होता जा रहा है और भारत के सभी नागरिक आज एक राष्ट्र के रूप में किसी भी विदेशी आक्रमण या विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं। कामना है कि भारत की यह अखण्ड एकता स्थिर रहे और अमर बने! वास्तविकता तो यह है कि बाहरी तौर पर भारतीय समाज, संस्कृति व जन-जीवन में विभिन्नताएँ दिखाई देने पर भी—भारत एक है, मौलिक व अखण्ड रूप में एक है—एक है इसकी संस्कृति, धर्म, भाषा, विचार और राष्ट्रीयता। इस एकता को नष्ट नहीं किया जा सकता—हजारों वर्षों की अग्नि-परीक्षा और विदेशी आक्रमणों ने इस सत्य को प्रमाणित कर दिया है। इसीलिए प्रत्येक भारतवासी को आज अपने देश पर नाज है, भारत माँ के नाम तक का उच्चारण करने में उसे असीम गौरव का अनुभव होता है। कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक प्रख्यात कविता के भावार्थ के—अनुसार, “भारत महामानवता के लिए एक पुण्य तीर्थ के समान है। किसी को भी ज्ञात नहीं कि किसके आह्वान पर मनुष्यों की इतनी धारा एँ (प्रजातियाँ) दुबरी वेग से बहती हुई कहाँ-कहाँ से आई और महासमुद्र रूपी इसी भारत में आ मिलीं तथा घुल-मिल गई। यहाँ आर्य हैं, यहाँ अनार्य हैं, यहाँ द्राविड़ और चीनी भी हैं। शक, हूण, पठान और मुगल—न जाने कितनी प्रजातियाँ के लोग इस देश में आए, और सब-के-सब एक ही शरीर में समाकर एक हो गए। समय-समय पर जो लोग रण की धारा बहाते हुए, उन्माद और उत्साह में विजय के गीत गाते हुए रेगिस्तानों और पर्वतों को लाँघकर इस देश में आए थे, उनमें से किसी का भी अब अलग अस्तित्व नहीं है। वे सब-के-सब एक होकर भारत माँ की गोद में विद्यमान हैं—उससे (उस भारत माँ से) कोई भी दूर नहीं है, उसी के रक्त में सबके रक्त की धाराओं का स्वर आज ध्वनित हो रहा है।” यही महामिलन है, यही एकाकार हो जाना है और यही विभिन्नताओं के बीच भी अखण्ड एकता का मूर्तिमान रूप है—यही हम सबका प्यारा भारत है।